न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

बुधू पुत्र फौसू आयू 65 साल जाति तेली निवासी रोंधई तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0)

– अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 20.06.2018 न्यायालय तहसीलदार करौली मुकदमा नम्बर 02/18 उनवानी सरकार बनाम बुधू जिसकी रूह से अपीलाण्ट को शास्ती व बेदखली से दण्डित किया गया है के विरूद्ध तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 09.10.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रोंधई के आराजी खसरा नंबर 772/1 रकबा 3–01 बीघा किस्म गैर मुमकिन बीहड सिवायचक में अपीलार्थी द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी को शास्ति, बेदखली एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिनांक 20.06.2018 को पारित किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 20.06.2018 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, विधि विरूद्ध, पूर्णतया आरवीट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 20.06.2018 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का नोटिस विधिवत तामील नही कराया है और ना ही सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट दिनांक 31.05.2008 को अपनी रिश्तेदारी में सबलगढ मध्यप्रदेश गया था और दिनांक 20.06.2018 को ग्राम रोंधई आया तब अपीलाण्ट की पत्नि ने तहसील कार्यालय से नोटिस आना बताया और उस नोटिस को अपीलाण्ट को दिया। तब अपीलाण्ट तहसीलदार मण्डरायल के न्यायालय में पहुंचा और जवाब को समय मांगा। तब तहसीलदार मण्डरायल ने अपीलाण्ट से कहा कि मै आपको कोई तारीख पेशी जवाब को नही दूंगा और दिनांक 29.06.2018 को मेरा रिटायरमेंट है। इसलिये मैं तेरे खिलाफ फैसला आज ही तेरी (अपीलाण्ट) की अनुपस्थिति बताकर करूंगा और अपीलाण्ट को जवाब पेश करने को समय नही दिया और अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देने से इंकार कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल ने उसी दिन जैर अपील निर्णय एकपक्षीय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर न्याय प्रणाली का दुरूपयोग कर मनमानी पूर्ण तरीके से जैर अपील निर्णय विधि विरूद्ध रूप से पारित किया है। खसरा नम्बर 772 ग्राम रोधई में अपीलाण्ट के खातेदारी की 10 विस्वा भूमि है। खसरा नम्बर 772 की कोई पैमाईश अपीलाण्ट के समक्ष पटवारी या गिरदावर हल्का व

जिला कलक्टर
करौली

तहसीलदार मण्डरायल द्वारा नही की गयी है ना कोई पैमाईश का अपीलाण्ट को नोटिस दिया गया है और पटवारी हल्का द्वारा रघुवीर शर्मा निवासी रोधई से साजिश कर अपीलाण्ट के विरूद्ध खसरा नम्बर 772 की 1 बीघा भूमि की अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है और तहसीलदार मण्डरायल द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर मनमाने ढंग से गलत निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है और पत्रावली पुनः सुनवाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। पश्चात्वर्ती अतिक्रमण सिद्ध करने से पहले पूर्व प्रकरण के निर्णय, फर्द बेदखली आदि की प्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न किया जाना अनिवार्य है जो इस प्रकरण में रिकॉर्ड पर नहीं ली गई है। इस संबंध में आर.आर.टी. 2003(1) पेज 306 रिवीजन संख्या 247/2001/सवाईमाधोपुर उनवानी प्रहलाद बनाम राजस्थान राज्य निर्णय दिनांक 18.07.2002 प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत निर्णय दिनांक 20.06.2018 का है अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि ग्राम रोंधई की आराजी खसरा नं. 772/1 में से रकबा 1–00 बीघा भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण कर लेने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई हेतु अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया जो अपीलार्थी की पत्नि पर तामील होकर प्राप्त हुआ। अपीलार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा जिस पर अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पटवारी हल्का के बयान लिये गये। अपीलार्थी का अतिक्रमण पश्चात्वर्ती होने के कारण अपीलार्थी को शास्ति, बेदखली एवं तीन माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रकरण में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण माना गया है जबकि अदालत मातहत द्वारा पूर्व प्रकरण के निर्णय एवं फर्द बेदखली की सत्यापित प्रति पत्रावली में शामिल नहीं की है और ना ही इस न्यायालय में पेश की है जिससे अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित होता हो। अतः हम अपीलार्थी के कथनों से सहमत हैं एवं प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.06.2018 को 3 माह की सजा की हद तक अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मण्डरायल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली